प्रेस विज्ञप्ति

24.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 21.08.2026 को चंडीगढ़/मोहाली, पंजाब और मध्य प्रदेश में स्थित आठ परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। ये परिसर विजय राज कपूरिया, वरिंदर राज, मेसर्स इन्फिमम एंटरप्राइजेज एलएलपी और अन्य संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं से जुड़े थे।

ईडी ने थाना सोहाना, एसएएस नगर, पंजाब में दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर विभिन्न धाराओं आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत जांच शुरू की। प्राथमिकी प्लॉट नंबर 29, एमार, सेक्टर 108, मोहाली से एक कथित धोखाधड़ी कॉल सेंटर के संचालन से संबंधित है। पंजाब पुलिस ने भी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज किया है।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने विदेशी सहयोगियों के साथ मिलीभगत कर, कथित तौर पर अमेरिका और कनाडा में ग्राहकों को प्रिंटर, आईपैड और कथित एप्पल/माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी सहायता से संबंधित धोखाधड़ी वाले पॉप-अप और कॉल के माध्यम से निशाना बनाया। भ्रामक पॉप-अप या लिंक ने ग्राहकों के सिस्टम में तकनीकी समस्याओं को गलत तरीके से दर्शाया और कॉल सेंटर से जुड़े टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित किए। पूर्व-निर्धारित स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए, ऑपरेटरों ने कथित तौर पर ग्राहकों को अपने सिस्टम तक रिमोट एक्सेस प्रदान करने और अनावश्यक या काल्पनिक सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए प्रेरित किया। पीड़ितों से प्राप्त धन पे-पल, स्ट्राइप, बैंकिंग चैनलों, बिटकॉइन/क्रिप्टोकरेंसी और हवाला के माध्यम से प्राप्त और हस्तांतरित किया गया था। इसके बाद धन को विभिन्न विदेशी संस्थाओं के खातों के माध्यम से भेजा गया, जो मुख्य रूप से यूएसए में स्थित थे, जिनमें आरएचएल ऑपरेटिंग सॉल्यूशंस और आरजी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एलएलसी शामिल हैं। पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि मेसर्स इन्फिमम एंटरप्राइजेज एलएलपी के बैंक खाते में कई विदेशी संस्थाओं से विदेशी प्रेषण प्राप्त हुआ, जिन्हें संदिग्ध डमी/शेल संस्थाओं के रूप में पहचाना गया था।

तलाशी के परिणामस्वरूप लगभग 20 लाख रुपये की अघोषित नकदी के साथ-साथ अपराधसंकेती दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए और लगभग 50 लाख रुपये की बैंक बैलेंस फ्रीज की गई।

आगे की जांच जारी है।